भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1893
दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ

एमडीपी के अंतर्गत सरपंचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

†1893 श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के अंतर्गत सरपंचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं;
(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षित सरपंचों की कुल संख्या क्या है;
(ग) विशेषकर महाराष्ट्र सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सरपंचों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने स्थानीय शासन और ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन किया है; और
(ङ) यदि हां, तो पाए गए सुधारों और सांगली जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम को बढ़ाने की भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के अन्य हितधारकों की निरंतर क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन क्षमताओं का विकास करना है।

नेतृत्व प्रशिक्षण को और विस्तारित करने के लिए, मंत्रालय ने आईआईएम और आईआरएमए जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के सहयोग से नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) तैयार किया है, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य सरपंचों, अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के पदाधिकारियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमताओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर सामुदायिक नेताओं के कौशल सेट और ज्ञान के आधार को समृद्ध करने में एक परिवर्तनकारी उपकरण/साधन के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक के अंतर्गत प्रबंधन विकास कार्यक्रम में महाराष्ट्र सहित भाग लेने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) ने स्थानीय शासन और ग्रामीण विकास की प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रतिभागियों को आवश्यक नेतृत्व, प्रबंधन और वित्तीय जवाबदेही कौशल

और प्रभावी प्रबंधन जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशिक्षित किया गया है। टीम निर्माण, संघर्ष प्रबंधन, सामुदायिक लामबंदी आदि प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) के माध्यम से डिजिटल निगरानी के साथ-साथ पूर्व और पश्चात मूल्यांकन के माध्यम से संरचित प्रतिक्रिया, प्रशिक्षण की सामग्री और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता दोनों के लिए रेटिंग दर्शाती है। हालाँकि, यह कार्यक्रम अभी अपने प्रारंभिक चरण में है और अब तक सीमित संख्या में प्रतिभागियों को ही प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए स्थानीय शासन पर इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन करना अभी उपयुक्त नहीं होगा। ।इसके अलावा, कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए संशोधित आरजीएसए की वार्षिक कार्ययोजना के राज्यघटक के तहत उत्कृष्टता संस्थान के साथ पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 11.03.2025को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1893के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**निर्वाचित प्रतिनिधि***	**अधिकारी**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	3	6	9
2	अरुणाचल प्रदेश	1	3	4
3	बिहार	0	6	6
4	छत्तीसगढ़	0	5	5
5	गोवा	3	3	6
6	गुजरात	4	8	12
7	हरियाणा	1	3	4
8	हिमाचल प्रदेश	3	3	6
9	झारखंड	8	2	10
10	कर्नाटक	0	1	1
11	केरल	2	4	6
12	मध्य प्रदेश	12	0	12
13	महाराष्ट्र	2	5	7
14	ओडिशा	7	1	8
15	पंजाब	0	1	1
16	राजस्थान	1	6	7
17	सिक्किम	0	1	1
18	तमिलनाडु	6	13	19
19	तेलंगाना	0	9	9
20	त्रिपुरा	1	2	3
21	उत्तर प्रदेश	8	11	19
22	उत्तराखंड	4	7	11
23	पश्चिम बंगाल	0	2	2
24	जम्मू और कश्मीर	2	9	11
25	अंडमान और निकोबार	1	1	2
26	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5	0	5
27	लद्दाख	1	1	2
कुल	**-**	**75**	**113**	**188**

*सरपंच सहित

***